COVID-19 की प्रतिक्रिया में कार्यवाही आदेश
कोविड-१९ सरकारी आदेश संख्या 47)

जबकि, कोरोनावायरस बीमारी 2019 (COVID-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, शीघ्रता से पूरे इलाके में फैल गई है इसलिए संचार, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कई मार्गदर्शन की आवश्यकता और बदतमी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) खतरनाक संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणों में लोग वायरस को संचारित कर सकते हैं, और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है; और,

जबकि, पूरे इलाके राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संचालन के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए यह हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुहूर्त लगता है कि लोग स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगठन अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; और,

जबकि, 24 जुलाई, 2020 को, कोविड-19 (COVID-19) के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य के लोगों द्वारा आम भीतरी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आधिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करने हुए, मैंने इलाके राज्य की सभी कार्यालयों को पुनः आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, जन स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के साथ कार्य करते हुए, मैंने एक सूची उन्होंने फ़ैलाया जिसके अनुसार को सरकार प्रस्तुत की थी जो कोविड-19 (COVID-19) के नुकसान का मुकाबला करने और अनियंत्रित औसत का रोकथाम करने के लिए न्यूडीक्सीन के चरण की कई पत्तों का उपयोग में लाया है; और,

जबकि, उस योजना में ऐसे दो परिपक्व का वर्णन था जिसमें राज्य को किसी तौर पर विशेष उपाय के माध्यम से अधिक प्रतिबंधित अंश सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय स्थापित करने पड़ते और अतिरिक्त न्यूडीक्सीन लागू करने पड़ते. पहले, परिपक्वों के पोजिटिव आगे की दर के 7-दिनी चल आंकत में लगातार (10 में से 7) बढ़ रही होती, और साथ में या तो (a) किसी कोविड-19 से रोग के लिए अस्पताल में होने वाली भूमिकाओं में लगातार 7 दिन वृद्धि हो, या (b) अस्पताल की क्षमता में इतनी कमी हो जिससे मामलों में उपचार को संभालने की क्षमता खतरे में पड़ जाए (ICU क्षमता या मेडिकल/सर्जिकल शैली 20% से कम); अथवा दूसरा, तीन क्रमांक दिनों का आयस्ट, परिक्रमण के पोजिटिव आगे की 8% की दर (7 दिनी चल आंकत) के बारे में अथवा उससे अधिक हो; और,

जबकि, मेट्रो इंस्ट्रेक्ट, जो बॉट्स, बिल्टन, मॅडिसन, मूनरो, रेंडल्फ्स, संट क्लेयर, और वॉशिंगटन काउंटी क्षेत्रों को मिलाकर बनाता है, में हो रहे वर्तमान प्रसार ने इलाके में दूसरे परिपक्व को संक्रमण कर दिया है क्योंकि क्षेत्र का आयस्ट तीन क्रमांक दिनों के लिए कोविड-19 (COVID-19) के परिक्रमण पोजिटिव आगे की 8% की दर (7 दिनी चल आंकत) से अधिक रहा है; और,
यद्यपि, जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) ने मेट्रो इस्ट क्षेत्र के स्थानीय जन स्वास्थ्य विभागों और नेताओं से परामर्श करके उन विश्वस्त चुनौतियों के लिए उपयुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य न्यूनीकरण रणनीतियाँ निर्धारित की हैं जो कोविड-19 (COVID-19) के और प्रसार को रोकने के प्रयास में इस क्षेत्र के सामने आ रही हैं।

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझे निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपात्कालीन प्रबंधन एजेंसी पारंपरिक अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुसार, मैं 18 अगस्त, 2020 की शाम 5:00 बजे से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूँ:

अनुभाग 1. मेट्रो इस्ट क्षेत्र, जो वॉशिङटन, क्लिफर्ड, मेडिसन, मुनरो, डेंड्रोल्फ़, सेंट क्रेस्यर, और वॉशिङटन काउंटी को मिलाकर बनता है, में निम्नलिखित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंध एवं न्यूनीकरण स्थापित किए जाते हैं:

a. रेस्त्राओं और बार के लिए न्यूनीकरण। क्षेत्र के रेस्त्रों एवं बार इन प्रतिबंधों और न्यूनीकरण उपायों के अधीन हैं, जो भवन के अंदर एवं बाहर खुले में भोजन के लिए दाखिल एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉम्स्यंड इकोनॉमिक अपारिचुनिटी) द्वारा जारी वारों, दंग एवं न्यूनीकरण का मूल्यांकन करने के कार्यक्रम के संपूरक हैं:

   1. क्षेत्र के सभी रेस्त्रों एवं बार रात्रि 11:00 बजे बंद हो जाएंगे।
   2. सभी गायबों को कम-से-कम छ: फीट दूर रखी मेंजो पर बैठाया जाएगा। भवन के अंदर की मेंजे अधिकस्त छ: लोगों के समस्त तक सीमित रहेंगी। बार क्षेत्र से बार स्टूल हटा डाला जाएगा, और बार क्षेत्र में ओएर्ड दें, बैठना, या एकत्र होने की अनुमति नहीं है।
   3. जिन गायबों को बैठाने के लिए अंतहीन से कोई मेंजे न मिली हो वे परिस्थितियों से बाहर प्रतिस्थाप करें और, प्रतिस्थाप करने समय उस दल (पार्टी) से बड़े समूह में एकत्र होने की अनुमति नहीं है।
   4. यदि दल (पार्टी) के पास आरोपण होना चाहिए, तो वह वहाँ आकर लिया जा सके हं।

b. सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए न्यूनीकरण। क्षेत्र की सभाओं एवं सामाजिक कार्यक्रम इन प्रतिबंधों और न्यूनीकरण उपायों के अधीन हैं, जो सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉम्स्यंड इकोनॉमिक अपारिचुनिटी) द्वारा जारी वारों, दंग एवं न्यूनीकरण का मूल्यांकन करने के कार्यक्रम के संपूरक हैं:

   1. सभाओं एवं सामाजिक कार्यक्रम 25 लोगों और समय का श्रेणी 25% में से जो भी कम हो उस तक सीमित है।
   2. संपर्क का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग) के लिए उपस्थिति सुविधाओं रखना आवश्यक है।
   3. पार्टी बसों की अनुमति नहीं है।

c. गेम और कार्यों के लिए न्यूनीकरण। क्षेत्र के गेम और कार्यों इन प्रतिबंधों और न्यूनीकरण उपायों के अधीन हैं:
1. रात्रि 11:00 बजे गेमिंग के स्थान और कसीनो बंद हो जाने चाहिए और गेमिंग टर्मिनलों को संचालन रोक देना चाहिए।

2. गेमिंग के स्थान और कसीनो क्षमता के 25% पर सीमित है।

   d. सभी कार्यस्थलों के लिए डिस्टांसकरण। व्यवसाय और प्रतिष्ठान उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए घर से कार्य करना प्रचारित करें, और यह मूल्यांकन करें कि और कम कर सकते हैं या नहीं। यह सरकारी आदेश अधिकतम संभव कर्मियों के लिए घर से कार्य करने को प्रोत्साहित करता है।

अनुभाग 2. यह कार्यकारी आदेश समुदाय पुनजीवित आदेश (सरकारी आदेश 2020-43) का संपूर्ण है, जो तब के सिवा यह प्रभावी है जब इसके नियम, उपयुक्त अनुभाग 1 में सुसंगत रूप से वर्णित नियमों के साथ असंगत हो। समुदाय पुनजीवित आदेश की अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें सामाजिक दूर तथा फेस कवर पहनने से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं, लागू रहेंगी। समुदाय पुनजीवित आदेश के अनुभाग 4 में वर्णित छूट इस सरकारी आदेश पर लागू होती है।
अनुभाग 3. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए नियम शोधाधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवधें सटला जा तो, तो यह अवधें किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे दिना अवधें प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधान को गंभीर घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

राज्यपाल (गवनर) द्वारा 18 अगस्त, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) द्वारा दायर 18 अगस्त, 2020